हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जून, 2019

संख्या लैज. 23/2019.– दि हरियाणा लॉज (स्पेशल प्रोविज़नज़) ऐक्ट, 2019, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 19 जून, 2019, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 23

हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2019
एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधीन आने वाले राज्य के जिलों के लिए और इससे संबंधित या इससे आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ तथा अस्तित्वहीन होना।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधीन राज्य के क्षेत्रों में होगा।

(3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(4) यह इसके प्रारम्भ की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''प्रपीड़क कार्रवाई'' में शामिल है, विनिर्दिष्ट कृषि प्रयोजन वाहन का पंजीकरण रद्द करना, परिबद्ध या जब्त करना, चाहे विधि के अधीन स्थापित किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी आदेश के अनुसरण में हो ;

(ख) ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र'' से अभिप्राय है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में यथा परिभाषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ;

(ग) ''विनिर्दिष्ट कृषि प्रयोजन वाहन'' से अभिप्राय है, राज्य में मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 56) के अधीन पंजीकरण प्राधिकारी से दस वर्ष या से अधिक की अवधि के लिए पंजीकृत कोई ट्रैक्टर, कम्बाईन, हारवैस्टर या अन्य ऐसा मोटर वाहन, जो कृषि और सहबद्ध प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है और ईंधन के रूप में डीजल से संचालित होता है ;

(घ) ''राज्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;

(ङ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार।

प्रास्थगन में रखी जाने वाली प्रपीड़क कार्रवाई।

3. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर, विनिर्दिष्ट कृषि प्रयोजन वाहन को चरणबद्ध बाहर करने के लिए पालिसी बनाएगी।

(2) उप–धारा (1) में दिए गए उपबन्धों के अध्यधीन और किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट कृषि प्रयोजन वाहन को ऐसे समय तक चलाने हेतु अनुमत किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा जारी पालिसी में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) केवल इस आधार पर कि ऐसा विनिर्दिष्ट कृषि प्रयोजन वाहन दस वर्ष या से अधिक की अवधि के लिए पंजीकृत किया गया है, तो किसी विनिर्दिष्ट कृषि प्रयोजन वाहन के विरूद्ध किसी प्रपीड़क कार्रवाई के लिए राज्य सरकार या किसी प्राधिकरण द्वारा जारी सभी नोटिस निलम्बित हो जाएंगे और इस अधिनियम की प्रारम्भ की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान कोई भी प्रपीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी।

निर्देश देने की शक्ति।

4. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के उचित कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, समय–समय पर, ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो यह ठीक समझे।

.....

मीनाक्षी आई० मेहता,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

57157—L.R.—H.G.P., Chd.